न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी — कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या — 12 / 09

तारीख दायर — 22 / 11 / 2016

उनवान

1. लाली पुत्री श्री बाल्या पत्नि श्री मालूराम जाति माली निवासी ग्राम गुवाडा डाबर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। — अपीलान्ट।

बनाम

1. गीता पत्नि तेजा
2. लालाराम पुत्र तेजा
3. मिथलेश पुत्र तेजा
4. छोटेलाल पुत्र तेजा
5. बंशीधर पुत्र तेजा
6. गुलाब पुत्री तेजा
7. गोली पुत्री तेजा
8. सोनू पुत्री तेजा
9. कौशल्या पत्नि श्री सुवा
10. समस्वरूप पुत्र सुवा जाति माली निवासी ग्राम गुवाडा डाबर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
11. ग्राम पंचायत सीलीबावडी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान जरिये सरपंच — रेस्पोडेन्टान।

॥ अपील विरूद्ध निर्णय इन्तकाल संख्या —40 दिनांक 25.01.1983 वाकै ग्राम गुवाडा सीरा तहसील थानागाजी ॥

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी उपखण्ड

3. श्री कौशल भारद्वाज –एडवोकेट अपीलान्ट।

4. श्री भागीरथ प्रसाद सैनी –एडवोकेट रेस्पोडेन्टस।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय

दिनांक – 31.05.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आज्ञा ग्राम पंचायत सीलीबावडी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 दिनांक 25.01.1983 इंतकाल सं. 40 ग्राम गुवाडासीरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 विरासत मृतक बाल्या के खिलाफ यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2 रूपया चस्पा है। तथा आलोच्य आज्ञा की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

आज्ञा ग्राम पंचायत सीलीबावडी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 दिनांक 25.01.1983 इंतकाल सं. 40 ग्राम गुवाडासीरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 विरासत मृतक बाल्या मिन अपीलान्ट को बगैर सुने पारित की गई है। जो मिन अपीलान्ट की गैर जानकारी एवं गैरमौजूदगी में पारित की गई है। इसलिए मिन अपीलान्ट को पूर्व मे उक्त गलत आज्ञा की जानकारी नही थी जिस कारण से मिन अपीलान्ट अपील अन्दर अवधि पेश नही कर सकी। इसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयानती नही रही है। उक्त आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को मौखिक रूप से दिनांक 14.11.2016 को पटवारी हल्का से मिन अपीलान्ट के पिता की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर हुई। मिन अपीलान्ट ने जानकारी हाने पर दिनांक 15.1.2016 को उक्त आज्ञा तहत अदालत की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कियां जो नकल आज्ञा दिनांक 16.11.2016 को तैयार होकर दिनांक 16.11.2016 को प्राप्त हुई। जिसे लेकर दिनांक 17.11.2016 को मिन अपीलान्ट ने अपने वकील सहाब से सलाह मशवरा किया, तो उन्होने अविलम्ब अपील अदालत श्रीमान में करने की कानूनी सलाह दी, जिस पर अपील करने के लिए खर्चे का इंतजाम कर व वकील साहब से अपील आदि तैयार करवाकर सर्वप्रथम उक्त तारीख जानकारी 14.11.2016 से आज अपील बिना देरी के अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

की जा रही है। दिनांक 25.01.1983 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14.11.2016 तक
का जो समय व्यतीत हुआ है वह उक्त मिन अपीलान्ट को उक्त आज्ञा तहत अदालत की
जानकारी नही होने के कारण से व्यतीत हुआ है जो कि नेक नियती व युक्तियुक्त कारण
पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जहां आज्ञा
आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो एवं पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गई हो, वहा
मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया
जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नही है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है।
इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट
न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 14.11.2016 से अन्दर मियाद ग्रहण
किया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थनापत्र जेरदफा 05 परिसीमा अधिनियम
1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान मे पेश किया जा रहा है।

यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा मौके कब्जे एवम् राजस्व रिकार्ड के
खिलाफ विधि विरूद्ध पारित की है ऐसी स्थिति में उक्त आज्ञा तहत अदालत निरस्त होने
योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई
नोटिस नही दिया ना ही दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित
अवसर नही दिया गया। और ना वारिसान की सही प्रकार जांच की गई। और विधिक
प्रकिया एंव प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये
अपीलाधीन आज्ञा एक पक्षीय तौर पर पारित की गई हैं। जो आज्ञा प्राकृतिक न्याय के
सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

अपीलाधीन इंतकाल में वर्णित आराजी वाकै ग्राम गुवाडासीरा तहसील थानागाजी
जिला अलवर राज0 में स्थित हैं। उक्त आराजी में अपने हिस्सा का अभिलिखित खातेदार
काश्तकार मिन अपीलान्ट का पिता बाल्या पुत्र श्री मूला जाति माली निवासी ग्राम डाबर
तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. था। जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उक्त बाल्या
अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज रहा, और उसके स्वर्गवास उपरांत

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

उसकी वारिस पुत्री मिन अपीलान्ट वर्तमान में काबिज चली आ रही है। जो काबिल गौर
अदालत श्रीमान है।

मृतक बाल्या की विरासत का अपीलाधीन इंतकाल सं 40 दिनांक 25.01.1983 को
ग्राम पंचायत सीलीबावडी पंचायत समिति व तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 द्वारा
तस्दीक किया गया है। जो इंतकाल मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज व तस्दीक किया
जाना चाहिये था। लेकिन पटवारी हल्का ने गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई साक्ष्य
मिन अपीलान्ट के पिता "बाल्या" को उक्त अपीलाधीन इंतकाल में " लावल्द फौत "
अंकित कर दिया गया है। और इंतकाल रैस्पोडन्ट सं0 1 ला. 10 के पति/पिता मृतक
तेजा व सुवा के हक में तहत अदालत द्वारा खिलाफ कानून मौका व साक्ष्य तस्दीक किया
गया है। जबकि मिन अपीलान्ट के पिता बाल्या लावल्द फौत नही हुये हैं, और उसकी
जायज वारिस काबिज जायदाद एकमात्र पुत्री मिन अपीलान्ट जीवित है। और बाल्या के
लावल्द फौत होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही थी। अपीलाधीन इतकाल के कायम
रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरीत असर पडता है। इसलिए अपील प्रस्तुत
करना अति आवश्यक हो गया है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

मिन अपीलान्ट मृतक बाल्या की जायज वारिस काबिज जायदाद एकमात्र पुत्री है।
बाल्या के स्वर्गवास उपरांत उसकी चल अचल सम्पत्ति पर बहैसियत वारिस काबिज है।
बाल्या की पत्नि का स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। बाल्या लावल्द फौत नही हुआ है।
मृतक तेजा व सुवा बाल्या के जायज वारिस काबिज जायदाद नही थे और ना रेस्पाडेन्ट
सं. 1 ला. 10 बाल्या के वारिसान है। मृतक तेजा व सुवा ने सरपंच ग्राम पंचायत से
साजबाज होकर बाल्या का हिस्सा गलत हथकण्डे अपनाकर हडप करने की नियत से
बाल्या को लाऔलाद फौत होना बताकर अपीलाधीन इंतकाल विरासत बाल्या गैरकानूनी
एवं असंवैधानिक तरीके से अपने हक में तस्दीक कराया है। जो अपास्त होने योग्य है।
अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज0

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया।
रेस्पोडेन्ट की तरफ से राजस्व लोक अदालत में कोई उपस्थित नही हुआ। उनके विरूद्ध
इक्तर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अपीलॉट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक बाल्या की विरासत का इन्तकाल उसके भाईयो के नाम बेजा तोर पर किया गया है जो वारिसान की बिना जॉच किये किया गया है। इन्तकाल विरासत मृतक के भाईयों के नाम स्वीकार किया है जबकि अपीलाटा मृतक की जायज वारिस है। अतः वारिसान की जॉच कराई जाकर इन्तकाल पुनः फैसल कराया जावे। अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलॉट की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल इन्तकाल संख्या 40 दिनांक 25.01.83 ग्राम पंचायत सीलीबावडी द्वारा मृतक बाल्या की विरासत का दर्ज किया गया है जो मृतक के भाईयों के नाम दर्ज किया गया है जबकि मृतक की लडकी जो अपीलॉटा है उसके नाम इन्तकाल दर्ज नही किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की बिना जॉच किये इन्तकाल फैसल किया गया है। इन्तकाल विरास्त से सम्बधित है जो पुनः जॉच का मोहताज है। अपीलॉटा द्वारा प्रा0 पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलॉट अन्दर मयाद ग्रहण की जाती है। अपील अपीलॉटा उपरोक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में काबिले स्वीकार है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलॉटा स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सीलीबावडी का निर्णय दिनांक 25.01.83 बाबत इन्तकाल संख्या 40 वाकै गुवाडा सीरा निरस्त किया जाता है तथा निर्णय प्रति तहसीलदार थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वारिसान की विधिवत जॉच कर इन्तकाल का पुनः निस्तारण करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार थानागाजी को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31/05/2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प किशोरी में सुनाया जाकर लिखाया गया।

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner